स्टे द कोर्स

साभार: इंडियन एक्सप्रेस (21 सितम्बर, 2017)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (आंतरिक सुरक्षा) से संबंधित है।

सरकार को चकमा और हाजोंग को नागरिकता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़तापूर्वक खड़ा रहना चाहिए।

सितंबर 2015 में अपने एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और अरुणाचल प्रदेश सरकार को बताया था कि ''जल्द से जल्द तीन महीने के भीतर चकमा और हाजोंग को नागरिकता प्रदान कर की जाए।'' अधिकारियों ने अदालत के निर्देश को दो साल बाद भी लागू करने में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। एक हफ्ते पहले, केंद्र ने एक प्रतिबद्धता दिखाई थी कि अदालत के आदेश को लागू किया जाए। हालांकि, मंगलवार को गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश 'असंबद्ध' था, उन्होंने इस आदेश को संशोधित करने की मांग की है, ताकि अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों के अधिकार का हनन न हो सके। देखा जाये तो इस मामले में अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ (एएपीएसयू) जैसे संगठन भी शामिल हुए, जिन्होंने मंगलवार को केंद्र के फैसले का विरोध करते हुए राज्य में बंद का आह्वाहन किया, जो सरकार के कमजोर और एक फर्म और नैतिक स्टैंड की तुलना में असमर्थता को उजागर करता है। यहाँ निश्चित रूप से सरकार को अदालत के आदेश के प्रवर्तन के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए और स्पष्ट रूप से एएपीएसयू जैसे संगठनों को बताना चाहिए कि सरकार किसी भी परिस्थिति में कानून और व्यवस्था को बाधित करने की अनुमति नहीं प्रदान करेगा।

पूर्वोत्तर में प्रवासन और नागरिकता जैसे मुद्दे संवेदनशील मामलों से संबंधित हैं। राज्य के अधिकारियों को चाहिए वह किसी को भी इस तरह से सांप्रदायिक होने या स्थानीय समाज को प्रभवित करने न दे। रोहिंग्या के विपरीत, चकमा और हाजोंग 1960 के दशक में बांग्लादेश से भारत के लिए शरणार्थियों के रूप में आए थे और तत्कालीन उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी (एनईएफए) में बस गए। वर्ष 1972 में बांग्लादेश के साथ हस्ताक्षर किए गए एक संधि के अनुसार, यह सहमति हुई थी कि इन शरणार्थियों को नागरिकता के अधिकार दिए जाएंगे। यद्यपि मूल 14,888 व्यक्तियों में से केवल 5000 नेफे में बसे, जो बाद में अरूणाचल प्रदेश बना। शरणार्थी आबादी करीब एक लाख तक पहुंच गई, उनमें से कई भारत में ही पैदा हुए थे। सभी व्यावहारिक कारणों के बाद, ये राज्यविहीन लोग अरुणाचल प्रदेश में भारतीय होने के बावजूद शरणार्थी बन कर अपना जीवन बिता दिया। वर्तमान में सरकार को चाहिए कि वे स्थानीय आबादी को यह विश्वास दिलाये कि चकमा और हाजोंग से उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक मूल्यों को कोई खतरा नहीं हैं। स्वदेशी लोगों और शरणार्थियों के बीच बहुत से सामाजिक तनाव अल्प आर्थिक संसाधनों, विशेष रूप से भूमि और रोजगार के अवसरों को लेकर विवाद व्याप्त है। रिजिजु ऐसे नेता हैं, जो केंद्र पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए इन्हें लोकलुभावन धारा के साथ बहने के बजाय आर्थिक पाई का विस्तार करने के लिए नए तरीकों तलाशना चाहिए। पूर्वोत्तर के लिए बीजेपी की बड़ी योजनाएं हैं और इस क्षेत्र में प्रशासन की पार्टी के रूप में खुद को देखती भी हैं।

चकमा और हाजोंग

- चकमा और हाजोंग शरणार्थी मूलत: पूर्वी पाकिस्तान के चटगांव हिल ट्रैक्ट्स के निवासी थे। परन्तु कर्नाफुली नदी पर बनाए गए कैपटाई बांध के कारण जब वर्ष 1960 में उनका क्षेत्र जलमग्न हो गया तो उन्होंने अपने मूल स्थान को छोड़कर भारत में प्रवेश किया।
- दरअसल, चकमा बौद्ध हैं, जबकि हाजोंग हिन्दू हैं। इन दोनों जनजातियों ने बांग्लादेश में कथित तौर पर धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया तथा असम की लुशाई पहाड़ी (जिसे अब मिजोरम कहा जाता है) के माध्यम से भारत में प्रवेश किया।
- इसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा अधिकांश शरणार्थियों को उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेंसी (जिसे अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है) में बनाए गए राहत शिविरों में भेज दिया गया।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 1964-69 में इनकी संख्या मात्र 5,000 थी, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या एक लाख हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में उनके पास न ही भारत की नागरिकता है और न ही भूमि संबंधी अधिकार, परन्तु उन्हें राज्य सरकार द्वारा मूलभूत सुविधाएँ मुहैया कराई जाती हैं।
- भारत में निवास कर रहे चकमा और हाजोंग शरणार्थी भारतीय नागरिक हैं। इनमें से अधिकांश मिजोरम से हैं जोकि मिजो जनजातीय संघर्ष के कारण दक्षिणी त्रिपुरा के राहत शिविरों में रहते हैं।
- उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा में रह रहे इन भारतीय चकमा लोगों ने मिजोरम के चुनावों में भी मतदान किया था। इसके लिये

चुनाव आयोग ने राहत शिविरों में ही मतदान केंद्र बनाए थे।

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, केवल अरुणाचल प्रदेश में ही 47,471 चकमा लोग रह रहे हैं।
- चकमा और हाजोंग जनजातियाँ मुख्यत: पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्याँमार में पाई जाती हैं।
- वर्ष 1960 में जब चकमा शरणार्थियों को उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेंसी (नेफा) के तिरप, लोहित और सुबनसिरी जिले की खाली भूमियों पर बने राहत शिविरों में भेजा गया तो वहाँ इसका खुला विरोध हुआ।
- परन्तु जब वर्ष 1972 में नेफा का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश तथा बाद में राज्य का दर्जा दे दिया गया तो इस विरोध ने और अधिक विकराल रूप धारण कर लिया।
- अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने अपनी भूमि पर शरणार्थियों को बसाये जाने का विरोध किया था। उनका मानना था कि इससे राज्य की जनसांखिकीय में बड़ा बदलाव आएगा और उन्हें अपने पास उपलब्ध सीमित संसाधनों का भी बँटवारा करना पड़ेगा।
- इसी आधार पर अरुणाचल प्रदेश के अनेक संगठनों और सिविल सोसाइटी ने आज इन शरणार्थियों को नागरिकता देने का भी विरोध किया है।
- यहाँ इस टकराव का प्रमुख मुद्दा इन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के संबंध में है। चूँकि वर्तमान में भारत में निवास करने वाले इन शरणार्थियों में से अधिकांश का जन्म भारत हुआ है अत: ये 'जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता' के लिए अर्हता रखते हैं। ये शरणार्थी भी काफी समय से भारतीय नागरिकता की मांग कर रहे हैं। किंतु अरूणाचल की स्थानीय आबादी उनकी इस मांग का विरोध कर रही है। 1987 में जब अरूणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया उस दौरान 'ऑल अरूणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन' ने चकमा और हाजोंग शरणार्थियों को नागरिकता देने के खिलाफ जन-आंदोलन का नेतृत्व किया। स्थानीय आबादी की आशंका है कि शरणार्थी शीघ्र ही संख्या में उनसे ज्यादा हो जाएँगें एवं चुनावी परिणामों को प्रभावित करने लगेंगे।

कहां के मूल निवासी

- चकमा और हजोंग शरणार्थी भारत में बांग्लादेश के चटगांव के पहाड़ी क्षेत्रों से आए हैं। इन लोगों की जमीनें 1960 के दशक में वहां कर्णाफुली नदी पर बनी कापताई बांध परियोजना में चली गई थीं। इसके अलावा धार्मिक उत्पीड़न का भी इन्हें शिकार होना पड़ा है।

भारत को ही कहते हैं अपना घर

- 1947 में भारत विभाजन के बाद चटगांव को पूर्वी पाकिस्तान को सौंपे जाने के विरोध में चकमा बुद्ध आज भी श्चकमा ब्लैक डेश का आयोजन करते हैं।
- यही नहीं 1971 में जब बांग्लादेश का गठन हुआ तो वह उसका हिस्सा भी नहीं रहना चाहते थे। स्वायत्ता के लिए उन्होंने शांति वाहिनी के नाम से सशस्त्र संघर्ष भी शुरू किया था।
- बांग्लादेशी सेना से लड़ते हुए ये लोग लगातार भारत के त्रिपुरा राज्य में प्रवेश करते रहे।
- 1990 में चकमा लोगों से शेख हसीना सरकार ने शांति वार्ता की थी और उन्हें जनजाति का दर्जा दिया था।
- हालांकि अब भी चकमा वहां उत्पीड़न के डर से भारत में ही बने रहना चाहते हैं।

भारत को ही कहते हैं, अपना घर

- 2005 में चुनाव आयोग ने चकमा और हजोंग शरणार्थियों को अरुणाचल प्रदेश की मतदाता सूची में शामिल करने का आदेश दिया था। अरुणाचल की मतदाता सूचियों में करीब 1,000 से ज्यादा चकमा लोगों के नाम शामिल हैं।

भाषा

- चकमा लोग बंगाली-असमिया भाषा से मिलती-जुलती भाषा बोलते हैं। हजोंग तिब्बती-बर्मी भाषा बोलते हैं, हालांकि इसे असमिया की तरह ही लिखा जाता है।

कहां हैं कितने

- फिलहाल भारत में लगभग 1 लाख चकमा और हजोंग शरणार्थी रह रहे हैं।
- वर्ष 1964 में जब ये लोग भारत आए थे, तब करीब 15,000 चकमा थे और 2,000 हजोंग थे।
- 2015 के आंकड़ों के मुताबिक शुरुआती दौर में भारत आए तमाम लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से सिर्फ 5,000 लोग कैंपों में हैं।
- 2010-11 में गृह मंत्रालय की ओर से किए गए सर्वे के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों में इनकी आबादी 53,730 थी।
- 1987 में 45,000 अन्य चकमा लोगों ने बांग्लादेश से त्रिपुरा में प्रवेश किया था।

संभावित प्रश्न

हाल ही में चर्चा में रहे शब्द 'चकमा और हाजोंग' से आप क्या समझते हैं? इस मुद्दे में राजनीतिक अव्यवस्था से निपटने के लिए केंद्र सरकार को क्या अपेक्षित कदम उठाना चाहिए? चर्चा कीजिए।